भाग– ।।

(सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

प्रस्ताव की राज्य कम संख्या..........

परियोजना / स्कीम का स्थान	जनपद रूद्रप्रयाग के वि0ख0 अगस्त्यमुनि में राज्य योजना के अन्तर्गत जसोली–काण्डा मोटर मार्ग के अवशेष भाग के निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

i)	राज्य / संघ शासित क्षेत्र	उत्तराखण्ड
ii)	जिला	रूद्रप्रयाग।
iii)	वन प्रभाग	रूद्रप्रयाग
iv)	वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्रफल (है0 में)	1.330 है0
v)	वन की कानूनी स्थिति	0.420 है0 सिविल सोयम भूमि 0.000 आरक्षित वन भूमि 0.735 है0 नाप भूमि 0.245 वन पंचायत भूमि
vi)	हरियाली का घनत्व	0.001
vii)	प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाए)। सिंचाई / जलीय परियोजनाओं के सम्बन्ध में एफ0आर0एल0 – 8 मी0 पर परिगणना भी संलग्न किए जाए	सूची में संलग्न है।
viii)	भूक्षरण के लिए वन क्षेत्र की संवेदन शीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी।	भूक्षरण की सम्भावना नहीं है।
ix)	वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी	2.00 किमी0
x)	क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य जैवमण्डल रिजर्व, बाघ रिजर्व, हाथी कारीडोर आदि का भाग है (यदि हां, क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख वन्य जीव वार्डन की टिप्पणीयॉ अनुबन्धित की जाए)	नहीं
xi)	क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणिजात की दुर्लभ / संकटापन्न / विशिष्ट प्रजातियॉ पाई जाती है यदि हां / तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा दें।	नहीं
xii)	क्या कोई सुरक्षित पुरातत्वीय / पारम्परिक स्थल / रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेंत्र में स्थित है, यदि हॉ तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण–पत्र के साथ यदि अपेक्षित हो, या	नहीं।
8–	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भाग–1 कालम 2 में प्रस्तावित वन भूमि आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है। यदि नहीं, तो जांचे गए विकल्पों के ब्यौरों के साथ मदवार संस्तुत क्षेत्र क्या है।	प्रस्तावित मार्ग हेतु दो संरेखण उपलब्ध है।
9–	क्या अधिनियम के उल्लघंन में कोई कार्य किया गया है (हॉ / नहीं) यदि हॉ, तो कार्य की अवधि, दोषी अधिकारियों पर की गयी कार्यवाही सहित कार्य का ब्यौरा दें तथा उल्लघंन सम्बन्धी कार्य अभी भी चह रहे हैं।	लागू नहीं

10– प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौराः–

i.	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अवक्रमित वन क्षेत्र, आस–पास के वन क्षेत्र से इसकी दूरी, भू–खण्डों की संख्या, प्रत्येक भू–खण्डों की संख्या, प्रत्येक भू–खण्ड का आकार।	....
ii.	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अवक्रमित वन क्षेत्र, आस–पास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप।	संलग्न है।
iii	रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण, कार्यान्वयन एजेंसी, समय अनुसूची लागत ढाचा आदि।	संलग्न है।
iv	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिए कुल वित्तीय परिव्यय।	संलग्न है।
v	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबन्धकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण–पत्र (सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए)।	....

11– जिला वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिर्पोट विशेषतः उपर्युक्त कालम 7 (xi, xii) 8 और 9 में पूछे गये तथ्यों को दर्शाते हुए (संलग्न करें) — संलग्न है।

12– प्रभाग/जिला प्रोफाइल — वन प्रभाग रूद्रप्रयाग।

i.	जिला का भौगोलिक क्षेत्र।	1984 वर्ग किमी0
ii.	जिला का वन क्षेत्र।	1790.995 वर्ग किमी0
iii.	मामलों की संख्या सहित 1980 से वनेत्तर प्रयोग में लाया गया कुल क्षेत्र।	
iv.	1980 से जिला/प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिकूल वनीकरण	....
(क)	दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वन भूमि	....
(ख)	वनेत्तर भूमि पर	....
v	____________ तक प्रतिपूरक वनीकरण में हुयी प्रगति	....
(क)	वन भूमि पर	....
(ख)	वनेत्तर भूमि पर	....

13– प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव अन्यथा लेने के सम्बन्ध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश। — प्रकरण रूद्रप्रयाग वन प्रभाग से सम्बन्धित है। अतः जनहित में सिफारिश की जाती है।

दिनांक__________ हस्ताक्षर

स्थान–रूद्रप्रयाग नाम

सरकारी मोहर

भाग–III

(सम्बन्धित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

14– स्थल, जहां की वन भूमि शामिल की गयी है क्या इसका सम्बन्धित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है ? (हॉ/नहीं) यदि हॉ तो निरीक्षण की तारीख और किए गये प्रेक्षणों को, निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें।

15– क्या सम्बन्धित वन संरक्षक भाग–ख में दी गयी सूचना और उप वन संरक्षक के सुझावों से सहमत है।

16– प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में सम्बन्धित वन संरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ विशेष सिफारिशें।

हस्ताक्षरः

तिथि ________ नाम और पदनाम

स्थान– सरकारी मोहर

भाग–IV

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष, वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिए)

17– टिप्पणी के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिए राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें। (राय देते समय, सम्बन्धित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणी की सुस्पष्ट समीक्षा की जाय और विवेचनात्मक टिप्पणी दी जाय)

हस्ताक्षरः

तिथि : नाम और पदनाम

स्थान : सरकारी मोहर

भाग–V

(वन विभाग के प्रभारी सचिव अथवा राज्य सरकार के किसी अन्य प्राधिकृत अधिकारी जो अपर सचिव के पद के नीचे का अधिकारी न हो, द्वारा भरा जाना है)

17– राज्य सरकार की सिफारिशः
(उपर्युक्त भाग– II या भाग– III या भाग–IV में किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा की गयी प्रतिकूल टिप्पणियों पर विशिष्ट टिप्पणी की जाए)

हस्ताक्षरः

तिथि :

नाम और पदनाम

स्थान :

सरकारी मोहर

A-2-3

परियोजना का नाम : जनपद रूद्रप्रयाग के विकासखण्ड अगस्त्यमुनि में राज्य योजना के अन्तर्गत जसोली–काण्डा मोटर मार्ग के अवशेष भाग के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव। (लम्बाई 2.00 किमी0)

संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट (प्रमाण–पत्र)

प्रमाणित किया जाता है कि आज दिनांक 26.12.2014 को उपरोक्त प्रयोजन हेतु संयुक्त निरीक्षण किया गया। संयुक्त निरीक्षण के समय वन विभाग की ओर से श्री जगदीश लाल वन दरोगा, दिनेश लाल बीट अनुभाग, प्रस्तावक विभाग की ओर से श्री राहुल बिष्ट कनिष्ठ अभियन्ता एवं श्री गोविन्द सिंह कार्य अभिकर्ता के द्वारा निरीक्षण में भाग लिया गया। संयुक्त निरीक्षण के समय पाया गया कि उपरोक्त प्रयोजन हेतु आरक्षित वन भूमि 0.245 हे0, सिविल एवं सोयम वन भूमि 0.420 हे0, वन पंचायत भूमि 0.000 हे0 एवं नाप भूमि 0.735 हे0 प्रभावित होती है। प्रस्तावित वन भूमि के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है तथा प्रस्तावित भूमि की मांग न्यूनतम है। प्रश्नगत कार्य जनहित में किया जाना है।

आवेदित वन भूमि में जिन वृक्षों का पातन किया जाना है उनकी सूची संलग्न है।

(अन्य आवश्यक कोई विवरण जो दिया जाना है)..

प्रस्तावित समरेखण एक मात्र विकल्प है। इस समरेखण पर प्रभावित होने वाली वन भूमि/वृक्षों की संख्या न्यूनतम है तथा इस समरेखण पर कोई विवाद नहीं है।

कनिष्ठ अभियन्ता
प्रा0 खण्ड लो0नि0वि0
रूद्रप्रयाग

सहायक अभियन्ता
प्रा0 खण्ड लो0नि0वि0
रूद्रप्रयाग

अधि   ासी अभियन्ता
प्रा0 खण्ड लो0नि0वि0
रूद्रप्रयाग

वन क्षेत्राधिकारी
रूद्रप्रयाग रेंज
रूदप्रयाग वन प्रभाग

प्रभागीय वनाधिकारी
रूद्रप्रयाग वन प्रभाग
रूद्रप्रयाग

राजस्व उपनिरीक्षक
राजस्व उप निरीक्षक
क्षेत्र........
तहसील.. रुद्रप्रयाग
जिला रुद्रप्रयाग

तहसीलदार
रूद्रप्रयाग

उप जिलाधिकारी
रूद्रप्रयाग

जिलाधिकारी
रूद्रप्रयाग

SITE INSPACTION NOTE BELOW THE RANK OF DCF
(for the forest land to be diverted under FCA)

A proposal has been received by this office from **Executive Engineer Provincial Division P.W.D. Rudraprayag** (for diversion under FCA-1980) of **4.900 ha.** of forest land non-forestry purpose. The Project envisages the use of forest land for construction of **Jasoli-Kanda motor road remaing part.** The site inspection of the land involved in the proposal has done by me on dated ....

On inspection of the site, it is found that the land required by the user agency is a RF/PF/un-classed Protect forest measuring **0.665 ha.**

The requirement of forest land as proposed by the user agency in Col. 2 part-I is unavoidable and is base minimum required for the project.

Whether any rare/endangered/unique species of flora and fauna found in the area. If, so the details there of. :-

Whether any protecterd archeological/heritage site/defense establishment or any other important monoments is located in the area, if, so the details there of with NOC from competent authority, if required :-

a) The user agency has not violated the provisions of forest. (Conservation), Act 1980 and no work has been started without proper sanction.

b) It has been found that the user agency has violated the forest (Conservation), Act 1980 provisions. A detail report as per para 1.9 of chapter 1, Para C of Handbook of forest (Conservation) Act, 1980 is attached.

Specific recommendation for acceptance or otherwise of the proposal.

(Signature)

Place .... Name ....

Date .... Designation............................

Office Seal.

N.B. x — state the purpose for which the forest land is proposed to be diverted.

xx — out of (a) and (b) tick the option which is applicable and cross the option which is not applicable

As per letter number 2-2/2000 FC dated 16-10-2000 from Ministry of Environment & Forests, Government of India for proposal involving less then 40 hactares of forest land, the site inspection report from DCF is required and for proposal involving more than 40 hactares of forest and site inspection report from the conservation of forests is required.

A-2.6

परियोजना का नाम : जनपद रूद्रप्रयाग के विकासखण्ड अगस्त्यमुनि में राज्य योजना के अन्तर्गत जसोली–काण्डा मोटर मार्ग के अवशेष भाग के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव। (लम्बाई 2.00 किमी0)

लैन्ड शेड्यूल
(वन विभाग)

जिला	प्रभाग का नाम	वन ब्लाक	लम्बाई	चौड़ाई	क्षेत्रफल (हे0)
रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	अगस्त्यमुनि	350 मी0	7 मीटर	0.245 (आरक्षित वन भूमि)

वन क्षेत्राधिकारी
रूद्रप्रयाग रैंज
रूद्रप्रयाग वन प्रभाग

प्रभागीय वनाधिकारी
रूद्रप्रयाग

लैन्ड शेड्यूल

सिविल एवं सोयम, वन पंचायत एवं नाप भूमि का लैन्ड शेड्यूल के लिये (राजस्व विभाग)/ जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र

जिला	तहसील	ब्लाक	खसरा सं0	कुल रकवा	याचित क्षे. फ. (हे0)	टिप्पणी
रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	अगस्त्यमुनि	3689	0.030	0.420	सिविल सोयम
रूद्रप्रयाग	तदैव	तदैव	3123	0.005	0.000	वन पंचायत
रूद्रप्रयाग	तदैव	तदैव	3828	0.040	0.735	नाप भूमि

राजस्व उपनिरीक्षक

तहसीलदार
रूद्रप्रयाग

तहसीलदार
तहसील रूद्रप्रयाग
जनपद रूद्रप्रयाग

उप जिलाधिकारी
रूद्रप्रयाग

उपजिलाधिकारी
रूद्रप्रयाग

जिलाधिकारी
रूद्रप्रयाग

प्रति हस्ताक्षरित

जिला अधिकारी

योजना का नाम :– जनपद रूद्रप्रयाग के विकास खण्ड अगस्त्यमुनि में राज्य योजना के अन्तर्गत जसोली–काण्डा मोटर मार्ग का अवशेष भाग का नव निर्माण, लम्बाई 2.00 किमी0 हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

मार्ग पर पड़ने वाले बाधक वृक्षों की मूल्य गणना सूची

क्र0सं0	प्रजाति का नाम	व्यास	संख्या	दर	धनराशि रूपये
1	2	3	4	5	6
1	चीड	20-30	6	600.00	3600.00
		30-40	4	2330.00	9320.00
		40-50	4	5070.00	20280.00
		50-60	10	8565.00	85650.00
		60-70	8	13200.00	105600.00
		70-80	4	18660.00	74640.00
		80-90	2	23860.00	47720.00
		Above 90	1	26250.00	26250.00
		Total	39	Total	373060.00
		~~का 40% =~~			
				G. Total	373060.00

अनुसूचित दरों में 10 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि हेतु –

4 वर्षों में ~~वृद्धि 10% x 4 = 40%~~

वनक्षेत्राधिकारी

प्रभागीय वनाधिकारी

रूद्रप्रयाग

बांज वृक्षों के पातन का प्रमाण–पत्र

परियोजना का नाम : जनपद रूद्रप्रयाग के विकासखण्ड अगस्त्यमुनि में राज्य योजना के अन्तर्गत जसोली–काण्डा मोटर मार्ग के अवशेष भाग के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव। (लम्बाई 2.00 किमी0)

वन भूमि के हस्तान्तरण हेतु मेरे द्वारा दिनांक 08.06.2012 को निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान बांज वृक्षों की निम्नानुसार गणना की गई :–

क्र सं	ब्लाक	प्रजाति	व्यास वर्ग										योग
			00.10	10.20	20.30	30.40	40.50	50.60	60.70	70.80	80.90	90 से अधिक	
1	अगस्त्य मुनि	बांज											

उपरोक्तानुसार गणना किये गये न्यूनतम **बांज वृक्ष प्रभावित नहीं हो रहे है**, जिनका कि पातन किया जाना अपरिहार्य है।

वन संरक्षक,
गढ़वाल वृत्त पौड़ी

प्रभावित होने वाले वृक्षों का भूमिवार विवरण का प्रमाण–पत्र

परियोजना का नाम : जनपद रूद्रप्रयाग के विकासखण्ड अगस्त्यमुनि में राज्य योजना के अन्तर्गत जसोली–काण्डा मोटर मार्ग के अवशेष भाग के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव। (लम्बाई 2.00 किमी0)

मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु **1.400** हे0 सिविल/आरक्षित/वन पंचायत/नाप भूमि का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान पातन होने वाले वृक्षों की निम्नानुसार गणना की गई:–

क्र. सं.	भूमि की श्रेणी	वन ब्लाक, कर्म्पाटमेन्ट, खसरा सं0	प्रजाति	वैज्ञानिक नाम	ब्यास वर्ग										
					0-10	10-20	20-30	30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90 से अधिक	योग
1	आरक्षित	अगस्त्यमुनि रेंज	चीड	Pinus roxburghi	.	.	3	3	3	9	8	2	.	.	28
	सिविल	–तदैव–	चीड	–do–	.	.	3	1	1	1		2	2	1	11
	वन पंचायत	–तदैव–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	योग				.	.	6	4	4	10	8	4	2	1	39
	नाप भूमि	–तदैव–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	कुल योग				.	.	6	4	4	10	8	4	2	1	39

उपरोक्तानुसार गणना किये गये वृक्षों का पातन किया जाना अपरिहार्य है।

वन क्षेत्राधिकारी
अगस्त्यमुनि रेंज

प्रभागीय वनाधिकारी
रूद्रप्रयाग

राष्ट्रीय पार्क / वन्य जीव अभ्यारण्य प्रमाण–पत्र

परियोजना का नाम : जनपद रूद्रप्रयाग के विकासखण्ड अगस्त्यमुनि में राज्य योजना के अन्तर्गत जसोली–काण्डा मोटर मार्ग के अवशेष भाग के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव। (लम्बाई 2.00 किमी0)

प्रमाणित किया जाता है कि ग्राम्य विकास विभाग के अधीन निर्मित होने वाले जनपद रूद्रप्रयाग के विकास खण्ड अगस्त्यमुनि में राज्य योजना के अन्तर्गत जसोली–काण्डा मोटर मार्ग का अवशेष भाग का निर्माण, लम्बाई 2.00 किमी0 के निर्माण हेतु प्रस्तावित भूमि पर कोई राष्ट्रीय पार्क / वन्य जीव अभ्यारण्य का हिस्सा नहीं है।

वन क्षेत्राधिकारी
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग रेंज

प्रभागीय वनाधिकारी
रूद्रप्रयाग वन प्रभाग
रूद्रप्रयाग

A-2.23

वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन न होने का प्रमाण पत्र

परियोजना का नाम :– जनपद रूद्रप्रयाग के विकासखण्ड अगस्त्यमुनि में राज्य योजना के अन्तर्गत जसोली–काण्डा मोटर मार्ग के अवशेष भाग के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव। (लम्बाई 2.00 किमी0)—

प्रमाणित किया जाता है कि प्रश्नगत परियोजना के नव निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन नहीं हुआ है।

प्रभागीय वनाधिकारी
रूद्रप्रयाग

अधिशासी अभियन्ता
प्रा0ख0 लो0नि0वि0
रूद्रप्रयाग

परियोजना का नाम : जनपद रूद्रप्रयाग के विकासखण्ड अगस्त्यमुनि में राज्य योजना के अन्तर्गत जसोली–काण्डा मोटर मार्ग के अवशेष भाग के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव। (लम्बाई 2.00 किमी0)

प्रस्तावित परियोजना का ले आऊट प्लान एवं मदवार विवरण

1. यह मार्ग नागराजू–डाडाखाल मो0 मार्ग के किमी0 26 के हेमी0 4-6 से प्रारम्भ होता है।
2. इस मार्ग से काण्डा गाँव की जनसंख्या 174 को लाभ पहुँचेगा।
3. मार्ग पर 39 वृक्षों का पातन होना है।
4. मार्ग पर 0.665 हे0 वन भूमि पड़ती है।
5. ले आऊट प्लान पृष्ठ सं0 21(A) पर संलग्न है।
6. परियोजना की लागत 94.80 लाख है

Rahul

कनिष्ठ अभियन्ता
प्रा0 खण्ड लो0नि0वि0
रूद्रप्रयाग

सहायक अभियन्ता
प्रा0 खण्ड लो0नि0वि0
रूद्रप्रयाग

अधिशासी अभियन्ता
प्रा0 खण्ड लो0नि0वि0
रूद्रप्रयाग

वन क्षेत्राधिकारी
रूद्रप्रयाग रेंज
रूद्रप्रयाग वन प्रभाग

प्रभागीय वनाधिकारी
रूद्रप्रयाग वन प्रभाग
रूद्रप्रयाग

परियोजना का नाम : जनपद रूद्रप्रयाग के विकासखण्ड अगस्त्यमुनि में राज्य योजना के अन्तर्गत जसोली–काण्डा मोटर मार्ग के अवशेष भाग के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव। (लम्बाई 2.00 किमी0)

कार्य प्रारम्भ न होने का प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित भूमि पर अभी तक कोई निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है। भारत सरकार से वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा ।

कनिष्ठ अभियन्ता प्रा0 खण्ड लो0नि0वि0 रूद्रप्रयाग	सहायक अभियन्ता प्रा0 खण्ड लो0नि0वि0 रूद्रप्रयाग	अधिशासी अभियन्ता प्रा0 खण्ड लो0नि0वि0 रूद्रप्रयाग
वन क्षेत्राधिकारी रूद्रप्रयाग रेंज रूद्रप्रयाग वन प्रभाग		प्रभागीय वनाधिकारी रूद्रप्रयाग वन प्रभाग रूद्रप्रयाग

A - 2-33

परियोजना का नाम : जनपद रूद्रप्रयाग के विकासखण्ड अगस्त्यमुनि में राज्य योजना के अन्तर्गत जसोली–काण्डा मोटर मार्ग के अवशेष भाग के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव। (लम्बाई 2.00 किमी0)

धार्मिक / पौराणिक / ऐतिहासिक महत्व के स्थल न होने का प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि आवेदित वन भूमि में किसी प्रकार का ऐतिहासिक स्थल, धार्मिक स्थल, स्मारक, मन्दिर, मस्जिद, शमशान घाट, कब्रिस्तान आदि स्थित नहीं है तथा उक्त वन भूमि सार्वजनिक उपयोग की नही है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त वन भूमि अन्य प्रयोजन हेतु किसी को आवंटित नही की गई है।

कनिष्ठ अभियन्ता
प्रा0 खण्ड लो0नि0वि0
रूद्रप्रयाग

सहायक अभियन्ता
प्रा0 खण्ड लो0नि0वि0
रूद्रप्रयाग

अधिशासी अभियन्ता
प्रा0 खण्ड लो0नि0वि0
रूद्रप्रयाग

वन क्षेत्राधिकारी
रूद्रप्रयाग रेंज
रूद्रप्रयाग वन प्रभाग

प्रभागीय वनाधिकारी
रूद्रप्रयाग वन प्रभाग
रूद्रप्रयाग

प्रति हस्ताक्षरित

राजस्व उपनिरीक्षक

तहसीलदार
रूद्रप्रयाग

तहसीलदार
तहसील रूद्रप्रयाग
जनपद रूद्रप्रयाग

उप जिलाधिकारी
रूद्रप्रयाग

उपजिलाधिकारी
रूद्रप्रयाग

जिलाधिकारी
रूद्रप्रयाग

एन0पी0वी0 की धनराशि जमा करने समबन्धी
प्रमाण पत्र

(माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 28.03.2008 व 09.05.2008 के अनुसार)

परियोजना का नाम : जनपद रूद्रप्रयाग के विकासखण्ड अगस्त्यमुनि में राज्य योजना के अन्तर्गत जसोली–काण्डा मोटर मार्ग के अवशेष भाग के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव। (लम्बाई 2.00 किमी0)

प्रमाणित किया जाता है कि सम्बन्धित वन क्षेत्र (सिविल / आरक्षित) माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 28.03.2008 के अनुसार निर्धारित इको क्लास V के अन्तर्गत आता है।

उपरोक्तानुसार उक्त वन क्षेत्र **Open Forest/Dense Forest/ Semi Dense Forest** की श्रेणी में आता है। जिस हेतु एन0पी0वी0 की धनराशि की प्रति है0 दर रूपये ....(..) है। उक्त दर के अनुसार एन0पी0वी0 की धनराशि का आगणन रू0 .... (..) मात्र किया गया है, जिसका भुगतान प्रस्तावक विभाग द्वारा किया जायेगा।

परियोजना का नाम : जनपद रूद्रप्रयाग के विकासखण्ड अगस्त्यमुनि में राज्य योजना के अन्तर्गत जसोली–काण्डा मोटर मार्ग के अवशेष भाग के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव। (लम्बाई 2.00 किमी0)

प्रस्तावित परियोजना में वृक्ष प्रभावित न होने की दशा में प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित परियोजना के निर्माण से वृक्ष प्रभावित हो रहे है।

वन क्षेत्राधिकारी
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग रेंज

प्रभागीय वनाधिकारी
रूद्रप्रयाग

परियोजना का नाम : जनपद रूद्रप्रयाग के विकासखण्ड अगस्त्यमुनि में राज्य योजना के अन्तर्गत जसोली–काण्डा मोटर मार्ग के अवशेष भाग के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव। (लम्बाई 2.00 किमी0)

स्थल विशिष्ट होने न होने का प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित स्थल स्थलीय विशिष्ट है।

वन क्षेत्राधिकारी
रूद्रप्रयाग रेंज
रूद्रप्रयाग वन प्रभाग

प्रभागीय वनाधिकारी
रूद्रप्रयाग वन प्रभाग
रूद्रप्रयाग

प्रति हस्ताक्षरित

राजस्व उपनिरीक्षक

तहसीलदार
रूद्रप्रयाग

उप जिलाधिकारी

उपजिलाधिकारी
रूद्रप्रयाग

जिलाधिकारी
रूद्रप्रयाग

जिला अधिकारी
रूद्रप्रयाग

परियोजना का नाम : जनपद रूद्रप्रयाग के विकासखण्ड अगस्त्यमुनि में राज्य योजना के अन्तर्गत जसोली–काण्डा मोटर मार्ग के अवशेष भाग के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव। (लम्बाई 2.00 किमी0)

प्रस्तावित जल विद्युत परियोजना हेतु कैचमेन्ट ट्रीटमेन्ट प्लान

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित परियोजना जल विद्युत परियोजना नहीं है।

कनिष्ठ अभियन्ता
रा0 खण्ड लो0नि0वि0
रुद्रप्रयाग

सहायक अभियन्ता
रा0 खण्ड लो0नि0वि0
रुद्रप्रयाग

अधिशासी अभियन्ता
रा0 खण्ड लो0नि0वि0
रुद्रप्रयाग

वन क्षेत्राधिकारी
रुद्रप्रयाग रेंज
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग

प्रभागीय वनाधिकारी
रूद्रप्रयाग वन प्रभाग
रूद्रप्रयाग

परियोजना का नाम : जनपद रूद्रप्रयाग के विकासखण्ड अगस्त्यमुनि में राज्य योजना के अन्तर्गत जसोली–काण्डा मोटर मार्ग के अवशेष भाग के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव। (लम्बाई 2.00 किमी0)

पूर्व निर्मित मोटर मार्ग से आगे मार्ग निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में प्रमाण पत्र

यह मोटर मार्ग के नव निर्माण का कार्य है।

Rahul कनिष्ठ अभियन्ता प्रा0 खण्ड लो0नि0वि0 रूद्रप्रयाग	सहायक अभियन्ता प्रा0 खण्ड लो0नि0वि0 रूद्रप्रयाग	अधिशासी अभियन्ता प्रा0 खण्ड लो0नि0वि0 रूद्रप्रयाग
वन क्षेत्राधिकारी रूद्रप्रयाग रेंज रूद्रप्रयाग वन प्रभाग		प्रभागीय वनाधिकारी रूद्रप्रयाग वन प्रभाग रूद्रप्रयाग

परियोजना का नाम : जनपद रूद्रप्रयाग के विकासखण्ड अगस्त्यमुनि में राज्य योजना के अन्तर्गत जसोली--काण्डा मोटर मार्ग के अवशेष भाग के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव। (लम्बाई 2.00 किमी0)

राष्ट्रीय पार्क / वन्य जीव अभ्यारण्य से परियोजना स्थल की दूरी प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि राष्ट्रीय पार्क / वन्य जीव अभ्यारण्य . केदारनाथ वन्य जीव अभ्यारण से उक्त परियोजना की दूरी लगभग 95 किमी0 है।

Rahul

कनिष्ठ अभियन्ता
प्रा0 खण्ड लो0नि0वि0
रूद्रप्रयाग

सहायक अभियन्ता
प्रा0 खण्ड लो0नि0वि0
रूद्रप्रयाग

अधिशासी अभियन्ता
प्रा0 खण्ड लो0नि0वि0
रूद्रप्रयाग

वन क्षेत्राधिकारी
रूद्रप्रयाग रेंज
रूद्रप्रयाग वन प्रभाग

उप प्रभागीय वनाधिकारी
रूद्रप्रयाग

प्रभागीय वनाधिकारी
रूद्रप्रयाग